न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा–पत्र

उनवान

मदनगोपाल .... बनाम .... जमनालाल

किस्म मुकदमा .... धारा – 223 .... मि.नं. .... 2025/156 .... सन

अभिभाषक अपीलान्ट .... मुकेश मीणा, मोहित शर्मा .... अभिभाषक रेस्पोडेन्ट .... महावीर मीना R 2,3,4; नरेन्द्र कु. सोमानी R-1

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
24/9/2025	पत्रावली पेश हुई । आज कोर्ट कैम्प स्थगित होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26-11-2025 को पेश हो । (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा	26-11-2025
03.11.25	पत्रावली अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत विड्रॉ के आधार पर अपील का निस्तारण करने हेतु पेश हुई। अपीलांट स्वयं उपस्थित एवं अभि. रेस्पो. क्र. 1 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया कि इस प्रकरण में प्रारंभिक डिक्री के पश्चात् अंतिम डिक्री के पूर्व विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। बटवारा स्कीम से अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट सन्तुष्ट है। न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील का मूल विवाद का बिन्दु यह रहा है कि वाद करते समय वादी ने अपना नाम मदनपाल के नाम से पेश किया था, जबकि दस्तावेजात में वादी का नाम मदनगोपाल है। मदनपाल एवं मदनगोपाल एक ही व्यक्ति है। चूंकि विभाजन प्रस्ताव में भी मदनगोपाल का नाम आ चुका है इसलिए अपीलांट इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है। अत: इसी स्तर पर विड्रॉ कर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली व अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। न्यायहित में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत विड्रॉ के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने को स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर एज विड्रॉन खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	कार्यालय SDO बारां के पत्रांक 691 दिनांक 19/9/25 से मूल पत्रावली प्राप्त हुई। प्र.सं.- 65/2021 जमनालाल / मदनलाल नि.दि.- 28/5/2024 मदनगोपाल (मुकेश [?])

न्यायालय भू प्रबंध एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपील संख्या........../2015

मदन गोपाल मीणा पुत्र श्री रामेश्वर उम्र 46 साल निवासी ग्राम सुन्दलक तहसील बांरा जिला बांरा राजस्थान

अपीलांट

—बनाम—

1. जमना लाल पुत्र श्री रामेश्वर उम्र 56 साल निवासी ग्राम सुन्दलक तहसील बांरा जिला बांरा राजस्थान
2. उर्मिला पुत्री श्री रामेश्वर पत्नीश्री ओमप्रकाश उम्र 51 साल निवासी ग्राम मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बांरा राजस्थान
3. रूकमणी पुत्री श्री रामेश्वर पत्नी श्री राजेन्द्र आयु 50 वर्ष निवासी ग्राम रूण तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
4. रामू बाई पुत्री श्री रामेश्वर पत्नी श्री शिवचरण निवासी बोरदा तहसील मांगरोल जिला बांरा राज.
5. भूमि अवाप्ति अधिकारी महोदय बांरा तहसील बांरा जिला बांरा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांरा जिला बांरा राजस्थान

——रेस्पोन्डेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
सम्माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांरा जिला बांरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 28—5—2024 की अप्रसन्नता से

मान्यवर,

अपीलांट निम्नलिखित निवेदन करता है कि—

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि खाता संख्या 259 के खसरा नम्बर 32/944 की रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 34 की